बिहार सरकार

ग्रामीण विकास विभाग

पत्रांक 383932 पटना, दिनांक 10/08/18

ग्रा0वि0-5/इं0आ0यो0(IAY अन्य)-102-31/2016

प्रेषक,

कँवल तनुज, भा0प्र0से0,
सरकार के संयुक्त सचिव ।

सेवा में,

सभी उप विकास आयुक्त,
बिहार ।

विषय :- **प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के अंतर्गत अयोग्य लाभुकों का नाम प्राथमिकता सूची से हटाने संबंधी State Login में प्राप्त Remand अभिलेखों के संबंध में ।**

प्रसंग :- विभागीय पत्रांक-382746 दिनांक-03.08.18

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के माध्यम से प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के प्राथमिकता सूची में शामिल अयोग्य लाभुकों का नाम हटाने हेतु विहित प्रक्रिया अपनाने की क्रियाविधि प्रेषित की गयी थी । आवास सॉफ्ट के Remand Module के तहत कुछ जिलों यथा-सारण, औरंगाबाद से अयोग्य लाभुकों के नामों को हटाने हेतु अभिलेख ऑनलाईन किया गया है जो State Login में प्राप्त हुआ है, जिसमें त्रुटियाँ पायी गयी है यथा- अपवर्जन का आधार अभिलेखों में चिन्हित/स्पष्ट नहीं किया जाना, उप विकास आयुक्त द्वारा अभिलेख में अनुशंसा के उपरांत मूल हस्ताक्षर के स्थान पर हस्ताक्षर की अनुकृति के स्टाम्प का उपयोग करना इत्यादि ।

अतः अनुरोध है कि अयोग्य परिवारों का नाम प्रतीक्षा सूची से हटाने हेतु Remand अभिलेखों को Online करने के पूर्व अच्छी तरह जाँच कर लिया जाय एवं संतुष्ट होकर ही विहित प्रक्रिया का अनुपालन करते हुए त्रुटिरहित अभिलेखों को State Login में भेजा जाय ।

विश्वासभाजन

10/8

(कँवल तनुज)
सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक 383932 पटना, दिनांक 10/08/18

प्रतिलिपि- सभी जिला पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

सरकार के संयुक्त सचिव

10/8

D:\D Drive\Mukesh\IAY 2301.doc